...व तारीख ...म जो इ... की ता... ...ारी हुए	तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

24/5/18

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय
आपके द्वार कैम्प कोर्ट सापुर पर पेश हुई।
प्रार्थीजन के होशियार रहने से इंकार किया
उभयपक्ष उपस्थित। तहसीलदार करौली से
मौका रिपोर्ट तलब की जाकर शामिल पत्रावली
की गयी। प्रार्थीयान वादीगण ने ख.नं. 669 मे
होकर ख.नं. 657, 661 ग्राम पैरोली को अपने
सनातन से चले आ रहे आम वस्ती का
रास्ता ख.नं. 669 मे मार्क A से B मे होकर
चाहा है। एवं रास्ता मे हो रहे अवैध अतिक्रमण
को गैरसायल नं. 5 के जरिये गैरसायल नं. 1 ता 4
के खर्चे से हटवाने एवं रास्ते के उपयोग मे होने
वाली भूमि का सायलान नियमानुसार राशि
जमा करने को तैयार होना कथन किया है।
गैरसायलान ने उक्त भूमि ख.नं. 669 मे
कोई रास्ता राजस्व रिकार्ड मे नही होना
कथन किया है। तहसीलदार करौली द्वारा अपनी
मौका रिपोर्ट दिनांक 24-5-18 क्रमांक/LR/18/
76 मे ख.नं. 668 व 669 के मध्य मे 2 से 4
फुट की पगडण्डी रास्ता होना व इस रास्ते के
दोनो तरफ पक्की दीवारे बनी हुयी होना व
नक्शा सीट मे रास्ता दर्ज नही होना बताया
है। यह प्रार्थना पत्र सायलान द्वारा आम
जनता ग्राम पैरोली की ओर से प्रस्तुत किया
गया है। जिस बावत प्रार्थीयान द्वारा न्यायालय
हाजा से O 1 Rule 8 CPC के तहत प्रार्थना पत्र
प्रस्तुत करने की इजाजत नही ली गयी है
ना ही ग्राम पंचायत से प्रार्थना पत्र आम जनता
की ओर से प्रस्तुत करने की स्वीकृति व प्रस्ताव
लिया गया है। इस प्रकार प्रार्थीयान ने प्रार्थना
पत्र पेश करने से पूर्व O 1 Rule 8 CPC की पालना
नही कर ...

की गयी। प्रार्थीगण वादीगण ने ख.नं. 669 मे
होकर ख.नं. 657, 661 ग्राम पेंयोली को अपने
सनातन से चले आ रहे आम वस्ती का
रास्ता ख.नं. 669 मे मार्क A से B मे होकर
चाहा है। एवं रास्ता मे हो रहे अवैध अतिक्रमण
को गैरसायल नं. 5 के जरिये गैरसायल नं. 1 ता 4
के खर्चे से हटवाने एवं रास्ते के उपयोग मे होने
वाली भूमि का सायलान नियमानुसार राशि
जमा करने को तैयार होना कथन किया है।
गैर सायलान ने उक्त भूमि ख.नं. 669 मे
कोई रास्ता राजस्व रिकार्ड मे नही होना
कथन किया है। तहसीलदार करौली द्वारा अपनी
मौका रिपोर्ट दिनांक 24-5-18 क्रमांक/LR/18/
76 मे ख.नं. 668 व 669 के मध्य मे 2 से 4
फुट की पगडण्डी रास्ता होना व इस रास्ते के
दोनो तरफ पक्की दीवारे बनी हुयी होना व
नक्शा सीट मे रास्ता दर्ज नही होना बताया
है। यह प्रार्थना पत्र सायलान द्वारा आम
जनता ग्राम पेंयोली की ओर से प्रस्तुत किया
गया है। जिस बावत प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय
हाजा से 01 R 1 8 CPC के तहत प्रार्थना पत्र
प्रस्तुत करने की इजाजत नही ली गयी है।
ना ही ग्राम पंचायत से प्रार्थना पत्र आम जनता
की ओर से प्रस्तुत करने की स्वीकृति व प्रस्ताव
लिया गया है। इस प्रकार प्रार्थीगण ने प्रार्थना
पत्र पेश करने से पूर्व O1 Rule 8 CPC की पालना
नही कर यह प्रार्थना पत्र आम जनता पेंयोली
की ओर से प्रस्तुत किया गया है जो बिना O1 Rule
8 CPC की पालना एवं प्रार्थना पत्र पेश करने से
पूर्व न्यायालय से स्वीकृति नही लेने के कारण
प्रार्थीगण का यह प्रतिनिधित्व प्रार्थना पत्र धारा
251A RT Act चलने योग्य नही है। प्रार्थीगण
रास्ता के सम्बन्ध मे सक्षम न्यायालय मे पुन

गयी नकल 395-420 30.4.18

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी
[illegible] 24/5/18 कैम्प आउटलय	कार्यवाही के लिए स्वतन्त्र रहेगे। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीयान O7 Rule 8 CPC की पालना के अभाव मे खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। [illegible] 24/5/18 [illegible] अधिकारी [illegible]	